UPAD010067442022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–3, इलाहाबाद।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–**3450/2022**

C.N.R. No. UPAD01-006744-2022

जावेद अहमद उर्फ जावेद मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अजहर, निवासी–39सी/2ए/01 जे. के. आशियाना, थाना करैली, जनपद प्रयागराज। ..... **आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... **अभियोजक**

अपराध संख्या–**118/2022**
धारा–143, 144, 145, 147, 148, 149, 153ए, 153बी, 295ए, 201, 511, 307, 332, 333, 353, 395, 435, 436, 427, 504, 505(2), 506, 120बी, भारतीय दण्ड संहिता व धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट व धारा–83 किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम व धारा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि. थाना–खुल्दाबाद, जनपद–प्रयागराज।

दिनांक 18.08.2022

1. अभियुक्त **जावेद अहमद उर्फ जावेद मोहम्मद** उपरोक्त **मुकदमा अपराध संख्या–118/2022, अन्तर्गत धारा–143, 144, 145, 147, 148, 149, 153ए, 153बी, 295ए, 201, 511, 307, 332, 333, 353, 395, 435, 436, 427, 504, 505(2), 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट व धारा–83 किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम व धारा–3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, थाना–खुल्दाबाद, जिला प्रयागराज** के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायालय में **दिनॉक 30.06.2022** को प्रस्तुत किया गया है जो सत्र न्यायालय से अन्तरित होकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

2. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र में कथन इस प्रकार है कि **प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रार्थी का कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में लम्बित है और न ही खारिज किया गया है।** प्रार्थी निर्दोष है तथा मुकदमा उपरोक्त में उसे झूठे एवं गलत तथ्यों के आधार पर राजनैतिक विद्वेषवश तथा इलाहाबाद में हुए सी.ए./एन.आर.सी. में मदद किये जाने की आशंकावश फॅसाया गया है। उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 11.06.2022 को समय करीब 3.11 बजे थाना खुल्दाबाद में दर्ज करायी गयी थी जबकि घटना दिनांक 10.06.2022 को 14.30 बजे घ ाटित होना बताया गया है विलम्ब का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अभियोजन कथानक प्रथम सूचना रिपोर्ट से ही संदिग्ध प्रतीत होता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट 13 घन्टे बाद साजिशन झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी सामाजिक कार्यकर्ता एवं कानून पसंद शान्तप्रिय नागरिक है। शहर के गरीब जरूरतमन्द लोगों की मदद करना गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखायी में मदद करना आदि कार्य करता है तथा वह काला डांडा कब्रस्तान करैली प्रयागराज में प्रबन्ध समिति का सचिव है उक्त कब्रस्तान वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है तथा प्रार्थी द्वारा एक पी. आई.एल. माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल कर कब्रस्तान की जमींन पर अवैध कब्जा किये गये लोगों से कब्रस्तान की जमींन को मुक्त कराया था जिससे काफी लोग रंजिश रखने लगे थे। प्रार्थी शिक्षित और सभ्रान्त परिवार का नागरिक है सामाजिक कार्यो में सक्रिय रहता है। कोरोना

काल में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आसपास के क्षेत्रों के गरीब जरूरतमन्द भूखे परिवार को राशन और अन्य जरूरी सामान देकर अपने साथियों के साथ मिलकर मदद किया था। शहर इलाहाबाद की प्रशासन द्वारा शान्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में उसे गणमान्य लोगों के साथ बुलाया जाता था जहां वह प्रशासन का पूरा सहयोग करते हुए शहर में शान्ति व्यवस्था बनाने एवं सभी वर्गो के धार्मिक त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराने में स्वयं व साथियों के साथ सक्रिय सहयोग करता रहा है। इसी दिनांक 09.06.2022 को भी प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रार्थी को शान्ती व्यवस्था पर बात चीत करने के लिए बुलाया था। प्रार्थी दिनांक 10.06.2022 को अपने घर के पास स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था और नमाज पढ़कर अपने घर वापस आ गया था और तत्पश्चात् पूरा दिन अपने घर पर था। प्रार्थी ने दिनांक 10.06.2022 को अपने सोशल मीडिया एकाउन्ट से शहर के लोगों से किसी भी जुलूस प्रदर्शन में शामिल न होने और नमाज के बाद अपने घरों में वापस जाने तथा कहीं भी इकटठा न होने की अपील जारी की थी। दिनांक 10.06.2022 को प्रशासन व एस.एस.पी. महोदय के बुलाने पर प्रार्थी थाना कोतवाली लगभग शाम 8.00 बजे अपनी स्कूटी से गया था जहां उसे अवैध तरीके से रोक लिया गया तथा मुकदमा उपरोक्त की घटना में शामिल दिखाते हुए झूठा फॅसाकर चलान कर दिया गया। दिनांक 10.06.2022 की रात को प्रार्थी पत्नी व बेटी को पुलिस द्वारा जबरजस्ती घर से ले जाकर महिला थाने में अवैध रूप से रोक लिया गया तथा उसकी पत्नी के नाम से बने मकान को दिनांक 12.06.2022 को गैर विधिक रूप से गिरा दिया गया। बिना किसी आधार व सबूत के मीडिया द्वारा प्रार्थी को उक्त घटना का मास्टर माइन्ड बता दिया दिया जबकि वह न तो व्यक्तिगत न ही सोशल मीडिया से घटना में शामिल रहा है। प्रार्थी को दिनांक 10.06.2022 को ही थाना कोतवाली में अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था जिस कारण घर के ध्वस्तीकरण के समय न तो प्रार्थी स्वयं और न ही प्रार्थी की पत्नी व बच्चे मौजूद थे। प्रार्थी के घर से कथित हथियार और पर्चे की बरामदगी पूरी तरह से झूठी, प्लान्टेड और बेबुनियाद है। कथित बरामद टाइपसुदा पर्चे का प्रार्थी से कोई मतलब व सरोकार नही है। प्रार्थी 52 वर्ष का व्यक्ति है। हाईब्लड प्रेशर व डायबिटीज का मरीज है इन्सुलिन का नियमित इस्तेमाल करता है। प्रार्थी कभी का सजायाफ्ता नही है। अन्य वर्णित तथ्यों के आधार पर जमानत पर अवमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

3. **अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।**

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में जमानत प्रार्थनापत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5. अभियोजन का तर्क है कि अपराध गैर जमानतीय तथा गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

6. अभियोजन कथानक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक दीन दयाल सिंह द्वारा दिनांक 11.06.2022 को समय 03.11 बजे थाना खुल्दाबाद में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 10.06.2022 को जुमे की नमाज के दृष्टिगत उनकी ड्यूटी लगायी गयी थी तथा दो बजे के आसपास हजारो लोगों की उग्र भीड़ अटाला मोहल्ले की ओर से आयी तथा पुलिस एवं पी.ए.सी. पर पथराव करने लगी तथा भीड़ ने पत्थरों एवं बम को पुलिस वालों एवं आने जाने वाले राहगीरों पर चलाने लगे तथ कई मकानों की छतों से भी बम व गोलियां चलाने लगे तथा पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल भी छीनने के पयास किये तथा जानलेवा किये गये पथराव, फेंके गये बम व फायर से आर.ए.एफ. 101 बटालियन के निरीक्षक मनीष कुमार, आरक्षी रघुनन्दन एवं आरक्षी तन्मय पाल गम्भीर रूप से घ ाायल हो गये तथा अन्य लोगों को चोटे आयी तथा गाड़ी में आग भी लगा दी और शस्त्र लूटने का प्रयास किया तथा मौके की सूचना देने पर सी.ओ.सी.टी द्वारा तत्काल बल प्रयोग व आंसू गैस छोड़ने को कहा गया तथा मौके से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 5000 अज्ञात के विरूद्ध उक्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या–118/2022 अन्तर्गत धारा–143, 144, 145, 147, 148, 149, 153ए, 153बी, 295ए, 201, 511, 307, 332, 333, 353, 395, 435, 436, 427, 504, 505(2), 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट व धारा–83 किशोर न्याय(बच्चों की देखभल और संरक्षण) अधिनियम व धारा–3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

7. मैंने पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया। पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक दीन दयाल सिंह द्वारा यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 10.06.2022 को जुमे की नमाज के दृष्टिगत उनकी ड्यूटी लगायी गयी थी तथा दो बजे के आसपास हजारो लोगों की उग्र भीड़ अटाला मोहल्ले की ओर से आयी तथा पुलिस एवं पी.ए.

सी. पर पथराव करने लगी तथा भीड़ ने पत्थरों एवं बम को पुलिस वालों एवं आने जाने वाले राहगीरों पर चलाने लगे तथ कई मकानों की छतों से भी बम व गोलियां चलाने लगे तथा पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल भी छीनने के पयास किये तथा जानलेवा किये गये पथराव, फेंके गये बम व फायर से आर.ए.एफ. 101 बटालियन के निरीक्षक मनीष कुमार, आरक्षी रघुनन्दन एवं आरक्षी तन्मय पाल गम्भीर रूप से घायल हो गये तथा अन्य लोगों को चोटे आयी तथा गाड़ी में आग भी लगा दी और शस्त्र लूटने का प्रयास किया तथा मौके की सूचना देने पर सी.ओ.सी.टी द्वारा तत्काल बल प्रयोग व आंसू गैस छोड़ने को कहा गया तथा मौके से लगभग 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 5000 अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। **पर्चा संख्या–3** में उपनिरीक्षक लाल भरत यादव, कां0 वीरेन्द्र कुमार द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। तथा **पर्चा संख्या–5** में घटना पर नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा आग्नेयास्त्र अस्त्रों का वर्णन किया है जिसके अनुसार आंसू गैस के 8 फायर किये गये हैं जिनके 6 खोखे बरामद हुए, रबर बुलेट के 13 फायर हुए हैं जिसमें से 11 के खोखे मिले हैं तथा प्रभारी निरीक्षक थाना खुल्दाबाद द्वारा एक टियर गैस और एक फायर ग्रेनेट तथा आर.ए.एफ. की तरफ से लांग रेंज सील 15 नम्बर, लांग रेंज सील 6 नम्बर, शार्ट रेंज एस/एन दो नम्बर, स्टन लैक सील 6 नम्बर तथा मौके पर वाहन संख्या–यू.पी.81 ए.जी. 0275, यू.पी.70 ए.जी. 2313 बुलेरो, एच.आर. 55 ए.के. 2801 बज्र वहान क्षतिग्रस्त हुए हैं जिसका तकनीकी परीक्षण कराया गया है तथा **पर्चा संख्या–8** के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके से बमों के अवशेष को इकट्ठा करके उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है तथा केसडायरी के साथ मजरूब कां0 रघुनन्दन, तन्मय पाल, मनीष कुमार एवं देवेन्द्र सिंह यादव की आघात आख्या भी प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि घ ाटना में पुलिस कर्मियों को चोटे भी आयी हैं जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रकरण बृहद पैमाने पर साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने, पुलिस बलों एवं सामान्य नागरिकों पर बम एवं आग्नेयास्त्रों से हमला करने एवं सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त करने से सम्बन्धित है जिसे उपरोक्त उल्लिखित बल एवं साधनों का प्रयोग करके नियंत्रण में लाया गया। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का प्रख्यापित आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **जावेद अहमद उर्फ जावेद मोहम्मद** उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–**3450/2022 मुकदमा अपराध संख्या–118/2022, अन्तर्गत धारा–143, 144, 145, 147, 148, 149, 153ए, 153बी, 295ए, 201, 511, 307, 332, 333, 353, 395, 435, 436, 427, 504, 505(2), 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व धारा–7 सी.एल.ए. एक्ट व धारा–83 किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम व धारा–3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, थाना–खुल्दाबाद, जिला प्रयागराज** के मामले मे निरस्त किया जाता है।

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–3,इलाहाबाद।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6095